

27/2/21

अधिवक्ता अमीलार्थी के प्रश्ना-पत्र पर
पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई।
अधिवक्ता रेणु. अग्रवाल। अधिवक्ता
अमीलार्थी द्वारा विद्वा प्रश्ना-पत्र प्रस्तुत
कर अमील अग्रवाल विद्वा निस्तारित
करने का निवेदन किया।

हामने उभय-पक्ष के अधिवक्तागण
को सुना। अधिवक्तागण की
यह अमील अग्रवाल विद्वा खरिज
की जाती है पत्रावली में कुल
सुमार दोपहर नकर से कम हो
एवं दाखिल दफ्तर होना ही नहल
अधिवक्ता का मूल अग्रवाल
लौटाया जावे।



जिला कलेक्टर
बाडमेर